न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 26 / 2023

प्रार्थी
छोगालाल पुत्र सोनाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
(1) मोहित कुमार पुत्र खंगारजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर, तह.–शिवगंज, जिला– सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, कैलाशनगर जरिये सरपंच, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 22 जुलाई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार पुत्र खंगाराजी, जाति–पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में जारी भवन निर्माण ईजाजत पत्र क्रमांक:2022–23 / SP2 दिनांक 15–2–2023 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (मोहित कुमार) की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशनामा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (मोहित कुमार) की ओर से एक प्रार्थना पत्र, आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–2023 के द्वारा खारिज किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी मोहित कुमार की ओर से निगरानी आवेदन का जवाब प्रस्तुत नही हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम कैलाशनगर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में प्रार्थी छोगालाल पुत्र सोनाजी पुरोहित के कब्जे अधिकार एवम् स्वामित्व की आवासीय मकान आया हुआ है, जिसका पट्टा विलेख संख्या 27 दिनांक 22–7–1966 को ग्राम पंचायत, कैलाश्नगर द्वारा प्रार्थी के पिता सोना पुत्र रुपाजी के नाम से जारी किया हुआ है। अप्रार्थी मोहित कुमार के पिता खंगार पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी कैलाशनगर के नाम से जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 03–11–2011 के आवासीय भूखण्ड के उत्तर दिशा में प्रार्थी छोगालाल का आवासीय मकान आया हुआ है, जहां प्रार्थी छोगालाल अपने परिवार सहित निवास करता है। अप्रार्थी मोहित कुमार ने अपने पिता खंगारजी पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी कैलाशनगर की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से मेल मिलाप कर दिनांक 15–2–2023 को भवन निर्माण ईजाजत पत्र प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत कैलाशनगर द्वारा जारी भवन निर्माण ईजाजत पत्र राजस्थान पंचायती राज नियमों के खिलाफवर्जी में मनमाने तरीके से गलत रूप जारी किया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कैलाशनगर ने भवन निर्माण ईजाजत पत्र जारी करने से पूर्व किसी भी तरह से विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है। भवन निर्माण ईजाजत पत्र किस पट्टेशुदा आवासीय सम्पति भूखण्ड पर निर्माण के संबंध में उसका उल्लेख भवन ईजाजत पत्र में नहीं है, भवन निर्माण इजाजत पत्र प्रिन्टेड फार्म में जारी किया है, जिसमें अधिकांश कॉलम खाली है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने भवन निर्माण इजाजत पत्र जारी करने से पहले आपत्ति नोटिस जारी नही किया है एवं न ही भूमि का मौका निरीक्षण किया है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा प्रस्ताव पारित किये बिना ही सरपंच व सचिव, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने विधि विरूद्ध तरीके से भवन निर्माण इजाजत पत्र जारी किया है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने निर्माण ईजाजत पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्रार्थी छोगालाल की सम्पति की सुरक्षा के संबंध में अप्रार्थी मोहित कुमार कोई निर्देश नही दिये है एवं न ही प्रार्थी छोगाराम की सम्पति को किसी तरह की कोई सुरक्षा बाबत् इंतजाम ही किये है। अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा किये जा रहे निर्माण से प्रार्थी के पट्टेशुदा आवासीय सम्पति की दिवार की दीवार को क्षति हो रही है व रंग रोगन भी खराब हो रहा है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार को जारी भवन निर्माण इजाजत पत्र दिनांक 15—2—2023 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी मोहित कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री नामा ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी मोहित कुमार के पिता खंगाराजी पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी— कैलाशनगर के पक्ष में ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा पट्टा विलेख संख्या 18 दिनांक 03.11.2011 को जारी किया हुआ है। अप्रार्थी मोहित कुमार के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। अप्रार्थी मोहित कुमार ने अपने पिता खंगार जी के नाम से ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 18 दिनांक 03—11—2011 की आवासीय भूमि पर भवन निर्माण करने हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा बाद जांच अप्रार्थी मोहित कुमार के पक्ष में नियमानुसार भवन निर्माण ईजाजत पत्र दिनांक 15.2.2023 को जारी किया है। अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा अपने पिता के नाम से जारी उक्त पट्टेशुदा भूमि पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से विधिवत भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त पट्टेशुदा भूमि पर स्थित पुराना आवासीय मकान जर्जर हो जाने से उसको हटाकर मकान का निर्माण कार्य करवा रहा था, तब प्रार्थी छोगाराम द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार एवं ग्राम पंचायत कैलाशनगर के विरूद्ध यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था, जिसके स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 09 / 2023 है। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर बाद विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा दिनांक 08—9—.2023 को प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है और माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही ने अपने आदेश में यह अंकित किया कि अप्रार्थी मोहित कुमार के निर्माण कार्य करने से प्रार्थी छोगालाल की दिवार को कोई क्षति नहीं हो रही है, बल्कि प्रार्थी छोगालाल के मकान की दिवार की सुरक्षा होगी। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 08—9—2023 को खारिज होने के बाद अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा उसके पिता के नाम से जारी उक्त पट्टा संख्या 18 की भूमि में मकान का निर्माण करवाया गया है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन के साथ पेश किये गये पट्टा संख्या 27 में चतुदर्शी व नाप भिन्न—भिन्न है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 27 में सम्पूर्ण पट्टे का नाप 7072 वर्गफिट है, जबकि प्रार्थी स्वयं एक अतिक्रमी होकर प्रार्थी ने गली एवं रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया है तथा प्रार्थी स्वयं ने पूर्व दिशा में पहाड़ होने पर पहाडी इलाके की भूमि पर भी अतिक्रमण किया, जिस हेतु प्रार्थी के विरूद्ध पट्टे शुदा मकान / प्लाट का सीमाज्ञान करने हेतु अप्रार्थी भंवरलाल पुरोहित ने एक प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज को

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से बार—बार झगडा फंसाद करने एवं अवैध अतिक्रमण करने से सीमाज्ञान कराने का अनुरोध किया था। उक्त प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिस पर पट्टा संख्या 27 दिनांक 23—7—1966 की पैमाईश की गई जिसमें उत्तर—दक्षिण का कुल नाप 121 फीट व पूर्व—पश्चिम का नाप 73 फीट कुल नाप 8833 फीट का पैमाईश/मौका निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित किया गया है, जबकि पट्टा संख्या 27 दिनांक 23—7—1966 में कुल नाप 7072 फीट है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वयं एक अतिक्रमी होकर रास्ते की भूमि एवं अप्रार्थीगण के आवासीय भूखण्ड पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया है। पंचायत समिति, शिवगंज की तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्र क्रमांकःप.स शि/SDM/2022—23/470 दिनांक 03—3—2023 में भी स्पष्ट किया है कि प्रार्थी के मकान के पूर्व दिशा में पहाड़ी इलाका होने से तथा उसका ढलान प्रार्थी के मकान की ओर से होने से पहाडी का पानी आने से नीवों में सिपेज होता है तथा प्रार्थी के दिवारों के अन्दर का प्लास्टर बिल्कुल सही पाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि पंचायत समिति, शिवगंज के भारसाधक अधिकारी ने उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह माना है कि अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा निर्माण किये जाने से किसी प्रकार से प्रार्थी की दिवार को नुकसान नहीं हो रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने कि नियत से केवल मात्र अपने दीवार का प्लास्टर कराने हेतु यह निगरानी आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया है। प्रार्थी द्वारा एक सिविल वाद भी माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, शिवगंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके बाद संख्या 10/2023 थे उसका भी अन्तिम निस्तारण हो चुका है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार पुत्र खंगार जी के पक्ष में भवन निर्माण इजाजत पत्र क्रमांकः2022—23/SP1 दिनांक 15—2—2023 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 68(1) में भवन निर्माण के लिये अनुज्ञा हेतु फीस उद्ग्रहण का प्रावधान है।

प्रकरण में उभय पक्षों के कथनों से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार के पक्ष में जो भवन निर्माण इजाजत पत्र दिनांक 15—2—2023 को जारी किया गया है वो ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा खंगार जी पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी— कैलाशनगर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 03—11—2011 की भूमि पर निर्माण के संबंध में जारी किया गया है एवं उक्त भवन निर्माण इजाजत पत्र दिनांक 15—2—2023 में अंकित शर्त संख्या 6 (छः) के अनुसार उक्त भवन निर्माण इजाजत पत्र की अवधि एक वर्ष तक ही मान्य रहेगी।

इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि प्रार्थी निगरानीकार छोगालाल द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार के पिता श्री खंगार पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी— कैलाशनगर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 03—11—2011 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण व अन्य के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत एक निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 28/2023 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 28/2023 अनवान श्री छोगालाल बनाम मोहित कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22—7—2025 के द्वारा निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कैलशनगर द्वारा श्री खंगार जी

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी— कैलाशनगर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 5223 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 03—11—2011 को निरस्त किया गया है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, कैलाशनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करे व पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करे।

चूंकि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार के पक्ष में जिस पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु भवन निर्माण इजाजत पत्र दिनांक 15—2—2023 को जारी किया गया है उस पट्टा संख्या 18 दिनांक 03—11—2011 को इस न्यायालय द्वारा उक्त पंचायत निगरानी संख्या 28/2023 में पारित निर्णय दिनांक 22—7—2025 के द्वारा निरस्त करके प्रकरण ग्राम पंचायत, कैलाशनगर को प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करने व पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार को जारी उक्त भवन निर्माण इजाजत पत्र दिनांक 15—2—2023 में अंकित शर्त संख्या 6 के अनुसार उक्त भवन निर्माण इजाजत पत्र एक वर्ष की अवधि तक ही मान्य था। ऐसी स्थिति में, उक्त भवन निर्माण इजाजत पत्र स्वतः ही निःप्रभावी हो गया है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार पुत्र खंगार जी के पक्ष में जारी भवन निर्माण इजाजत पत्र दिनांक 15—2—2023 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22 जुलाई, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही